46/2014 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A15

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 46/14

1. सुखदेवसिंह पुत्र श्री जंगीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रसिंह
3. गुरजन्टसिंह पिसरान गुरबचनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र श्री पंजाबसिंह जाति रायसिख निवासी 1 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पंकज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्री गंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट दिनांक 21-12-06

उपस्थित : 1.श्री मोहन लाल माहर , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

दिनांक : 16-01-17

आदेश

अपील लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। प्रस्तुत अपील अ0 धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के दादा नारायणसिंह जटसिख को चाके चक 1 जे बड़ा के मु0 नं0 31, 34, 36 के 23 बीघा 16 बिस्वा रकबा पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटन किया गया था जिसकी खातेदारी सनद सं0 11323 दिनांक 9-6-77 को जारी हुई थी। रेस्पो0 सं0 1 ने नाम एक समान होने के आधार पर एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अ0 धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की जाति जटसिख की बजाय रायसिख दर्ज की जावे। दिनांक 5-12-06 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 19-1-07 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई जोदिनांक 15-6-09 को उभय पक्ष को सुनकर कन्फर्म कर दिया गया परन्तु दिनांक 3-7-12 को रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया, जिसकी अपीलार्थीगण द्वारा मा0 राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 11-9-12 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित की गई। सहायक जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 11-3-13 को प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व अधि0 का निरस्त फरमा दिया गया, जिसके विरुद्ध कोई अपील, निगरानी व रिव्यू नहीं होने के कारण अंतिम हो चुका है। अपीलाधीन आदेश इस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

न्यायालय के आदेश दिनांक 5–12–06 के आधार पर पारित किया गया है जबकि धारा 136 का प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा वाद के विचाराधीन के दौरान रेस्पो0 सं0 2 को आराजी का हस्तान्तरण कर दिया गया जो कि धारा 52(ए) टी पी एक्ट की अवहेलना में किया गया है। बैयनामें के रोज सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन पारित किया हुआ था। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से कानून की अवहेलना में पारित किया गया है। विवादित आराजी का कब्जा अपीलार्थीगण के दादा से लेकर आज तक अपीलार्थीगण के पास चला आ रहा है। बिना मौके के कब्जे की जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलार्थीगण के दादा के एक समान नाम होने के कारण फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर बैयनामा किया गया है। जिसकी एफ आई आर नं0 178/4–11–12 दर्ज कराई गई थी जिसकी तफतीश के बाद न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल सं0 379 दिनांक 21–12–06 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों पर आधारित अपनी बहस में कहा है कि अपीलार्थी के दादा नारायणसिंह जटसिख को वाके चक 1 जे बड़ा के मु0 नं0 31, 34, 36 के 23 बीघा 16 बिस्वा रकबा पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटन किया गया था जिसकी खातेदारी सनद सं0 11323 दिनांक 9–6–77 को जारी हुई थी। रेस्पो0 सं0 1 ने नाम एक समान होने के आधार पर एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अ0 धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की जाति जटसिख की बजाय रायसिख दर्ज की जावे। दिनांक 5–12–06 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 19–1–07 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई जो दिनांक 15–6–09 को उभय पक्ष को सुनकर कन्फर्म कर दिया गया परन्तु दिनांक 3–7–12 को रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया, जिसकी अपीलार्थीगण द्वारा मा0 राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 11–9–12 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित की गई। सहायक जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 11–3–13 को प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधि0 का निरस्त फरमा दिया गया, जिसके विरूद्ध कोई अपील, निगरानी व रिव्यू नहीं होने के कारण अंतिम हो चुका है। अपीलाधीन आदेश इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5–12–06 के आधार पर पारित किया गया है। विवादित आराजी का हस्तान्तरण धारा 52(ए) टी पी एक्ट की अवहेलना में किया गया है। बैयनामें के रोज सक्षम न्यायालय का स्थगन प्रभावी था। विवादित आराजी का कब्जा अपीलार्थीगण के दादा से लेकर आज तक अपीलार्थीगण के पास चला आ रहा है। बिना मौके के कब्जे की जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलार्थीगण के दादा के एक समान नाम होने के कारण फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर बैयनामा करवाया है जिसकी एफ आई आर नं0 178/4–11–12 दर्ज कराई गई थी जिसकी तफतीश के बाद न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। अपने तर्क के समर्थ में आर आर टी 2014 (2) पेज 1140 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल सं0 379 दिनांक 21–12–06 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपील अत्यधिक देरी से पेश की गई इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी कहा है कि पूर्व में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

46/2014 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

इसी न्यायालय द्वारा अपील सं0 48/12 महेन्द्रसिंह बनाम नारायणसिंह वगैरा में दिनांक 27–9–12 को निर्णय पारित किया गया था इसलिए अपीलांटस को अपीलाधीन इंतकाल का ज्ञान निर्णय की दिनांक 27–9–12 से था। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 21–12–06 का है, जबकि अपील दिनांक 7–8–14 को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी होते हुए लगभग 8 साल के अत्यधिक विलम्ब से दायर की गई है इसलिए अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे। अपने तर्क के समर्थन में 2014 डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 383, 2006(1) डीएनजे (राज) पेज 399, आर आर टी 2013(1) पेज 61 एंव आर आर टी 2007(2) पेज 939 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस में यह भी बताया है कि मूल इंतकाल सं0 256 सनद सं0 11323 दिनांक 7–6–77 के आधार पर खोला जाकर दिनांक 19–9–02 को स्वीकृत किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् पारित किया गया है। यदि अपीलांट इससे व्यथित है तो उसे सर्वप्रथम सनद के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। रेस्पो0 के अधिवकता ने बहस में आगे यह भी बताया है कि दिनांक 5–12–06 के आदेश से उपखण्ड अधिकारी द्वारा जमाबंदियॉ जो पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत की गई थी, में जाति रायसिख दर्ज होने तथा जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा सनद जारी की चुकी होने से, जाति जटसिख के स्थान पर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये गये थे। दिनांक 3–7–12 के आदेश से उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा पूर्व में जारी स्थगन को भी खारिज करते हुए दिनांक 5–12–06 का आदेश बहाल रखा गया। सहायक कलक्टर, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 11–3–13 द्वारा लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने के प्रावधान धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम में हैं। घोषणात्मक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए मूल वाद के साथ शामिल करने के आदेश दिये गये थे। घोषणात्मक वाद विचाराधीन है इसलिए अपील मैन्टेनएबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपील खारिज की जानी चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया।

हस्तगत अपील प्रकरण में मैरिट पर निर्णय से पूर्व, अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का तर्क कि अपील अत्यधिक देरी से पेश की गई इसलिए अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी कहा है कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा अपील सं0 48/12 महेन्द्रसिंह बनाम नारायणसिंह वगैरा में दिनांक 27–9–12 को निर्णय पारित किया गया था इसलिए अपीलांटस को अपीलाधीन इंतकाल का ज्ञान निर्णय की दिनांक 27–9–12 से था। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 21–12–06 का है, जबकि अपील दिनांक 7–8–14 को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी होते हुए लगभग 8 साल के अत्यधिक विलम्ब से दायर की गई है इसलिए अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने उक्त तर्क के खण्डन में अपनी बहस में कहा है कि जब अपीलाधीन आदेश अवैध एवं शून्य हो तो अपील कभी भी दायर की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर उदारता का रूख अपनाते हुए ऐसे विलम्ब को माफ किया जाना चाहिये।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पूर्व में अपील सं0 48/12 महेन्द्रसिंह बनाम नारायणसिंह वगैरा में दिनांक 27–12–12 इसी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपील खारिज की गई थी। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलांट सं0 2 महेन्द्रसिंह द्वारा अपील सं0 48/12 दायर की गई थी तथा हस्तगत अपील प्रकरण में रेस्पो0 सं0 1 नारायणसिंह व रेस्पो0 सं0 2 पंकज हैं, जो अपील प्रकरण सं0 48/12 में भी पक्षकार थे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

इसलिए यह कहना कि अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी अपीलांट को न हो, ऐसा विश्वास करने का कोई सारवान कारण नहीं है।

वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीर आर आर टी 2013(1) पेज 61–62 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 – परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 नामान्तरणकरण के विरूद्ध अपील कालातीत होने से खारित की – 18 वर्ष बाद अपील पेश की – नामान्तरणकरण मजबा आम में तस्दीक किया गया – विलम्ब के लिए सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं – निर्णीत , समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है।

इसी न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आर वी जे (14) 2007 एस0सी0 पेज 438 का हवाला दिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है कि " When there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned. "

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 1994 आर आर डी 389 एच0सी0 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पैरा सं0 16 में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय अपील प्रस्तुत करने में समय सीमा को कितना महत्व देता है, यह 1994 आर आर डी 389 एच0सी0 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिसमें राज्य के द्वारा बोर्ड के समक्ष 96 दिन विलम्ब से प्रस्तुत अपील को उचित नहीं माना। प्रस्तुत प्रकरण में तो अपील लगभग 8 वर्ष बाद पेश की गई है।

इसी प्रकार, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2014 डी0एन0जे0 (रेवेन्यू)पेज 383 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 224 अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – कारण बताया कि वकील ने निर्णय की अपीलांट को सूचना नहीं दी– प्रथम अपील भी देरी से पेश की – अपीलांट की लावरवाही का मामला – निर्णीत – प्रार्थना पत्र व अपील खारिज होने योग्य है।

अपीलांट ने धारा 5 परिसीमा अधिनिमय के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलकृत इंतकाल की जानकारी 4–8–14 को उस समय हुई, जब वैयनामे के आधार पर इंतकाल सं0 498 पारित किया गया और इस इंतकाल में इंतकाल सं0 379 का भी अंकन किया गया। दिनांक 5–8–15 को अपीलकृत इंतकाल की प्रति प्राप्त की गई और बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपील सं0 48/12 में इंतकाल सं0 498 दिनांक 14–7–12 को वकील अपीलांट द्वारा चुनौति दी गई थी इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इंतकाल सं0 498 की जानकारी दिनांक 4–8–14 को हुई हो। अपीलांट का जानकारी के संबंध में यह मिथ्या कथन है। इस संबंध में 2006(1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 399–400 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5– भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226/227 – भूमि का स्थायी आवंटन – 18.1.1977 को आवेदन खारिज किया – आदेश दिनांक 20.1.77 की नकल लेने हेतु वादी ने 4.11.1980 को आवेदन पेश किया – संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी ने मिथ्या कथन किया कि आदेश दिनांक 18–1–1977 उसके ज्ञान में दिनांक 2.9.1980 कोआया – विलम्ब शमन हेतु मिथ्या कथन किया– निर्णीत प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है "।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार अपीलांट अपने केस के प्रति सजग नहीं रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई 8 वर्ष की देरी का कोई समुचित कारण नहीं बता पाया है, जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई लगभग 8 वर्ष की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

46/2014 — अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगं.

A15/6

का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से, हस्तगत अपील को खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हस्तगत अपील मियाद बाहर पेश की गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। लगभग आठ वर्ष का विलम्ब अपने आप में अस्पष्ट है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 16–01–17 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Lo/- 16/1/17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner